राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प. 5(1)मं.मं./2019 जयपुर, दिनांक 17/10/2019

आदेश

राज्य की ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किये जाने के लिए जिला कलक्टर्स द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों पर विचार कर अपनी अनुशंषा के साथ प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत किये जाने के लिए इस सचिवालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.09.2019 के द्वारा गठित की गई मंत्रिमण्डलीय उप समिति का प्रशासनिक विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा इसके सदस्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को बनाया गया। दिनांक 14.10.2019 को आयोजित मंत्रिमण्डल बैठक में लिये गये निर्णय संख्या 93/2019 की पालनार्थ मंत्रिमण्डलीय उप समिति के गठन आदेश दिनांक 18.09.2019 में सदस्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के स्थान पर सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग किये जाने का आंशिक संशोधन किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
8. प्रोग्रामर कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

(कैलाश चन्द्र गुप्ता)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प. 5(1)मं.मं./2019 जयपुर, दिनांक 18/09/2019

आदेश

राज्य की ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किये जाने के लिए जिला कलक्टर्स द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों पर विचार कर अपनी अनुशंषा के साथ प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत किये जाने के लिए निम्नानुसार मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन किया जाता है:–

1. श्री सचिन पायलट, उप मुख्यमंत्री – अध्यक्ष
2. श्री शांति कुमार धारीवाल, –सदस्य
   मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
3. मास्टर भंवरलाल मेघवाल, –सदस्य
   मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
4. श्री हरीश चौधरी, मंत्री, राजस्व विभाग –सदस्य
5. श्री अंजना उदयलाल, मंत्री, सहकारिता विभाग –सदस्य
6. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, राज्यमंत्री, शिक्षा विभाग(प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) (स्वतंत्र प्रभार) –सदस्य

उक्त समिति के विचारार्थ विषय (term of reference) निम्नानुसार रहेंगे:–

1. जिलों अथवा जन–प्रतिनिधियों से प्राप्त ऐसे प्रस्ताव जो पुनर्गठन/ नवसृजन हेतु निर्धारित न्यूनतम जनसंख्या या दूरी आदि की अर्हताओं को पूरा नहीं करते हों, किन्तु जनता की सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनका पुनर्गठन/नवसृजन किया जाना उचित हो, तो ऐसे प्रस्तावों को शिथिलन प्रदान कर, स्वीकृत कर सकेगी।
2. जिलों से प्राप्त ऐसे प्रस्ताव जो निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करते हों, किन्तु जनहित में अथवा प्रशासनिक दृष्टिकोण से ऐसे प्रस्ताव की सार्थकता प्रतीत नहीं होने पर उन्हें अस्वीकृत कर सकेगी।
3. मंत्रिमण्डलीय उप समिति पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव अपनी अनुशंषा के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत करेगी।

उक्त मंत्रिमण्डलीय उप समिति का प्रशासनिक विभाग पंचायती राज विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

18/9/19

(डॉ. राजेश शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
8. प्रोग्रामर कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

8/3/2019

(कैलाश चन्द्र गुप्ता)
वरिष्ठ शासन उप सचिव